

अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी

107 द.प्र.सं.

आदेश पत्रक

M-13 | 2017

13/2/17



प्रथम पक्ष - श्री महतो की
बनाम - बनाम
द्वितीय पक्ष - मुकेश महतो की

अभिनेत संख्या - एम. 13 / 2017 धारा - 107 द.प्र.सं.
शान्त प्रवारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या - 8/17


53
13/2/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिनसे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होवे या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायेगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संबुद्ध होकर द.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे करण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जनानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख दिनांक - 2/3/17 को उपस्थापित करें।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

10/4/18 उमय पत्र अनुपमि यूता: दि. 3/5-18 21
22 वं

3/5/18 उमय पत्र अनुपमि यूता: दि. 4/5-18
कां 22 वं

4/5/18 उमय पत्र अनुपमि यूता: दि. 8/5-18
कां 22 वं

8/5/18 उमय पत्र अनुपमि वाटु कं प्रथम पत्र व
कालि वरत उपाय यूता: दि. 10/5-18 21
22 वं

10/5/18 उमय पत्र अनुपमि वाटु कं प्रथम पत्र
के कालि वरत उपाय वाटु काल वाधिउ होने
के कारण कार्यवाही बंद किया जाएगा

10.5.18

अनुपमि

पुं फि

Rajan
emp

प्रति

1
2